2015 का विधेयक संख्यांक 227

[दि मर्चेंट शिपिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1958 का 44

धारा 3 का संशोधन ।

2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में, --

(क) खंड (14) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(14क) "सकल टनभार" और "शुद्ध टनभार" से पोत टनभार मापमान अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित किसी पोत का क्रमशः सकल टनभार और शुद्ध टनभार अभिप्रेत है ;';

(ख) खंड (58) का लोप किया जाएगा ।

नए भाग 10खक का अन्तःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम के भाग 10ख के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'भाग 10खक

बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

इस भाग का लागू होना ।

352दक. यह भाग निम्नलिखित को लागू होता है--

(क) प्रत्येक भारतीय जलयान द्वारा, जहां कहीं भी वह हो, बंकर तेल के निकास या निस्सारण के कारण और प्रत्येक विदेशी जलयान द्वारा, जब वह--

(i) राज्यक्षेत्र के, जिसके अन्तर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र भी है, भीतर है ; और

(ii) भारत में किसी पत्तन या किसी स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड अथवा उससे संलग्न किसी समुद्री क्षेत्र के भीतर, जिस पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो सकती है ;

1976 का 80

(ख) ऐसे नुकसान को रोकने अथवा कम करने के लिए निवारक उपाय, जहां कहीं भी किए गए हों :

परन्तु यह भाग ऐसे युद्धपोतों, नौसैनिक सहायक या अन्य जलयानों को लागू नहीं होगा, जो सरकार के स्वामित्वाधीन हैं या उसके द्वारा प्रचालित किए जाते हैं और तत्समय केवल सरकार की गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं :

परन्तु यह और कि बंकर अभिसमय सिविल दायित्व अभिसमय से संबंधित धारा 352ज के खंड (च) में यथा परिभाषित प्रदूषण नुकसान को लागू नहीं होगी, चाहे इसके संबंध में उस अभिसमय के अधीन प्रतिकर संदेय हो अन्यथा नहीं ।

परिभाषाएं ।

352दख. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "बंकर अभिसमय" से समय-समय पर यथासंशोधित बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के सिविल दायित्व पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है ;

(ख) "बंकर तेल" से किसी पोत के प्रचालन या नोदन के लिए उपयोग किया या किए जाने के लिए आशयित हाइड्रो-कार्बन खनिज तेल, जिसके

अन्तर्गत स्नेहक तेल भी है, और ऐसे तेल के कोई अपशिष्ट अभिप्रेत हैं;

(ग) "सिविल दायित्व अभिसमय" से समय-समय पर यथा संशोधित तेल प्रदूषण नुकसान के सिविल दायित्व पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1992 अभिप्रेत है ;

(घ) "घटना" से ऐसी कोई घटना या घटनाओं की आवलि अभिप्रेत है जिनका उद्गम स्थल एक ही है और जिनसे प्रदूषण नुकसान कारित होता है या ऐसा नुकसान कारित होने की घोर और आसन्न आशंका पैदा होती है ;

(ङ) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि या भागीदारी या कोई लोक निकाय या प्राइवेट निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके अन्तर्गत कोई राज्य या उसके कोई संघटक उपप्रभाग भी हैं, अभिप्रेत है;

(च) "प्रदूषण नुकसान" से अभिप्रेत है,--

(i) पोत से बंकर तेल के निकलने या निस्सारण से हुए संदूषण के परिणामस्वरूप पोत के बाहर कारित हानि या नुकसान अभिप्रेत है चाहे कहीं भी ऐसा तेल निकला हो या उसका निस्सारण हुआ है :

परन्तु पर्यावरण के ह्रास के लिए प्रतिकर, ऐसे ह्रास से लाभ या हानि से भिन्न, प्रत्यावर्तन के वस्तुतः हाथ में लिए गए युक्तियुक्त उपायों के खर्च तक ही सीमित होंगे; और

(ii) निवारक उपायों का खर्च और ऐसे उपायों द्वारा कारित अतिरिक्त हानि या नुकसान;

(छ) "निवारक उपाय" से ऐसा कोई युक्तियुक्त उपाय अभिप्रेत है, जो घटना के होने के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा, प्रदूषण नुकसान के निवारण या उसे कम करने के लिए किया जाता है;

(ज) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से पोत के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण के न होने पर वह या वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो पोत का स्वामी है या हैं:

परन्तु किसी पोत का स्वामित्व राज्य के पास होने और उसका परिचालन ऐसी किसी कंपनी द्वारा, जो उस राज्य में पोत परिचालन के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, किए जाने की दशा में, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से वह कंपनी अभिप्रेत है ;

(झ) "पोत" से किसी भी प्रकार का, चाहे वह कुछ भी हो, कोई समुद्रगामी जलयान और समुद्री क्राफ्ट अभिप्रेत है;

(ञ) "पोत स्वामी" से स्वामी, जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वामी भी है, पोत का अनावृत्त नोका चार्टरर, प्रबंधक और परिचालक अभिप्रेत है;

(ट) "पोत की रजिस्ट्री का राज्य" से, किसी रजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में, पोत के रजिस्ट्रीकरण का राज्य और अरजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में, वह

राज्य अभिप्रेत है, जिस राज्य का ध्वज वह पोत पर लगाने का हकदार है;

(ठ) "जलयान" के अन्तर्गत पोत भी है।

बंकर तेल प्रदूषण के लिए दायित्व ।

352दग. (1) धारा 352दघ में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,--

(क) जहां प्रदूषण नुकसान फलक पर बंकर तेल के निस्सारण या निकलने या किसी जलयान से ही निकलने के कारण होता है वहां जलयान का स्वामी--

(i) जलयान के बाहर, निस्सारण या निकलने से हुए संदूषण के परिणामस्वरूप जलयान के बाहर कारित किसी प्रदूषण नुकसान के लिए;

(ii) ऐसे किसी प्रदूषण नुकसान के, जो इस प्रकार कारित किया गया है या जिसके कारित किए जाने की संभावना है, निवारण या उसे कम करने के प्रयोजन के लिए किए गए किन्हीं युक्तियुक्त उपायों के खर्च के लिए;

(iii) जहां इस प्रकार किए गए ऐसे किन्हीं निवारक उपायों द्वारा कारित किसी नुकसान के लिए,

दायी होगा :

परन्तु जहां किसी घटना में घटनाओं की आवलि अन्तर्वलित हैं, जिसका उद्गम स्थल एक ही है, वहां दायित्व ऐसी घटनाओं में से प्रथम घटना के स्वामी पर होगा और जहां एक से अधिक व्यक्ति दायी हैं वहां दायित्व संयुक्ततः और पृथक्तः होगा ; और

(ख) जहां किसी जलयान के बाहर कारित किए जा रहे नुकसान की घोर और आसन्न आशंका पैदा होती है, वहां जलयान का स्वामी ऐसे किन्हीं उपायों के खर्च के लिए, जो ऐसे किसी नुकसान को रोकने या उसे कम करने के लिए किए गए थे, दायी होगा ।

(2) जहां, ऐसी कोई घटना, जिसमें दो या अधिक जलयान अन्तर्वलित हों, होती है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान होता है, वहां उस घटना में अन्तर्वलित सभी जलयान, जब तक कि नुकसान युक्तियुक्त रूप से पृथक्करणीय न हो, ऐसे नुकसान के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होंगे ।

(3) ऐसे पोतों के संबंध में, जो सरकार या किसी देश की सरकार के स्वामित्वाधीन हैं और जिनका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, सरकार या ऐसे प्रत्येक देश की सरकार इस भाग के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए दायी होगी ।

दायित्व से छूट ।

352दघ. (1) प्रदूषण नुकसान के लिए कोई दायित्व किसी जलयान के स्वामी द्वारा उपगत नहीं किया जाएगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा नुकसान,--

(क) किसी युद्ध-कार्य, संघर्ष, गृह युद्ध, विप्लव या किसी आपवादिक, अनिवार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के कारण हुआ है ; या

(ख) पूर्णतः, स्वामी के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप के कारण हुआ था ; या

(ग) पूर्णतः, सरकार या अन्य प्राधिकारी के, जो प्रकाश या अन्य नौपरिवहन सुविधाएं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कृत्य के निर्वहन में किसी उपेक्षा या अन्य सदोष कार्य के कारण हुआ है ।

(2) यदि जलयान का स्वामी यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान या तो पूर्णतः या भागतः उस व्यक्ति द्वारा, जिसको नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप से या उस व्यक्ति की उपेक्षा के कारण हुआ है वहां उसे उस व्यक्ति के प्रति उसके दायित्व से, यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः विमुक्त कर दिया जाएगा ।

दायित्व की परिसीमा के प्रति स्वामी का अधिकार ।

352दङ. जलयान का स्वामी भाग 10क के उपबंधों के अनुसार किसी एक घटना या अधिक के संबंध में इस भाग के अधीन अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार होगा :

परन्तु स्वामी अपने दायित्व को उस दशा में परिसीमित करने का हकदार नहीं होगा यदि यह साबित हो जाता है कि प्रदूषण नुकसान कारित करने वाली घटना उसके ऐसे वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप हुई है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से या बिना सोचे-विचारे और यह जानते हुए कि इससे ऐसा नुकसान होने की अधिसंभावना है, कारित किया गया है ।

दायित्व की परिसीमा का अवधारण ।

352दच. (1) जहां किसी जलयान के स्वामी पर धारा 352दग के अधीन किसी दायित्व के उपगत होने का अभिकथन किया गया है या किया जाता है वहां वह उच्च न्यायालय को भाग 10क में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व की परिसीमा का अवधारण, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित किए जाएं, किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उच्च न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् स्वामी के दायित्व की रकम का भाग 10क में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारण करेगा और उसे वह रकम उच्च न्यायालय के पास जमा कराने का निदेश देगा ।

दावों का समेकन और रकम का वितरण ।

352दछ. उच्च न्यायालय, जलयान के ऐसे स्वामी के विरुद्ध जिसने धारा 352दच के अधीन रकम जमा कराई है या उसके बीमाकर्ता के विरुद्ध सभी दावों का समेकन करेगा और दावाकर्ताओं के बीच रकम भाग 10क के उपबंधों के अनुसार आनुपातिक रूप से वितरित करेगा ।

दावे के अधिकार का निर्वापन ।

352दज. इस भाग के अधीन किसी घटना के संबंध में प्रतिकर का दावा करने का अधिकार उस दशा में निर्वापित हो जाएगा यदि ऐसा दावा नुकसान होने की घटना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है :

परन्तु किसी भी दशा में ऐसा दावा उस घटना की जिससे ऐसा नुकसान

कारित हुआ था, तारीख से छह वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसी घटना में घटनाओं की आवलि अन्तर्वलित हो, वहां छह वर्ष की अवधि ऐसी प्रथम घटना के प्रारंभ की तारीख से होगी ।

अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का बनाए रखा जाना ।

352दझ. (1) ऐसे जलयान के, जिसका सकल टनभार एक हजार से अधिक का है, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी के लिए इस भाग के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व के रक्षण के प्रयोजन के लिए भाग 10क के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित उसके दायित्व के बराबर रकम का अनिवार्य बीमा रक्षण या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति, जो विहित की जाए, बनाए रखना अपेक्षित होगा ।

(2) प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर संबंधी किसी दावे को प्रत्यक्ष रूप से रजिस्ट्रीकृत स्वामी के प्रदूषण नुकसान संबंधी दायित्व के लिए वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जाना जा सकेगा और ऐसे किसी मामले में बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति उन प्रतिवादों का (जो स्वामी की शोधन अक्षमता या उसके परिसमापन से भिन्न हो) अवलंब ले सकेगा जिनका कि स्वामी अवलंब लेने का जिसके अन्तर्गत धारा 352दच के अनुसरण में दायित्व की परिसीमा भी है, हकदार होता :

परन्तु जहां स्वामी धारा 352दच के अधीन दायित्व की परिसीमा का हकदार नहीं है, वहां बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की उस रकम के, जो उपधारा (1) के अधीन बनाए रखी जानी अपेक्षित है, बराबर रकम तक दायित्व को परिसीमित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति इस आशय के परिवाद का अवलंब ले सकेगा कि प्रदूषण नुकसान स्वामी के जानबूझकर किए गए अवचार के परिणामस्वरूप हुआ है किन्तु ऐसे किसी अन्य प्रतिवाद का अवलंब नहीं ले सकेगा जिसका कि ऐसा बीमाकर्ता या व्यक्ति ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति के विरुद्ध स्वामी द्वारा लाई गई कार्यवाहियों में संभवतः अवलंब लेने का हकदार होता :

परन्तु यह भी कि बीमाकर्ता या ऐसे व्यक्ति को ऐसी कार्यवाहियों में स्वामी को भी सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा ।

प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ।

352दञ. (1) ऐसे प्रत्येक जलयान के संबंध में, जो धारा 352दझ के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखता है, महानिदेशक ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां से युक्त और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) किसी विदेशी जलयान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर, महानिदेशक ऐसे विदेशी जलयान के संबंध में, धारा 352दझ के अधीन यथा अपेक्षित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखे जाने का समाधानप्रद साक्ष्य पेश किए जाने पर, प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, जारी किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र को उसके अवसान के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसी फीस का संदाय करने पर नवीकृत किया जाएगा जो विहित की जाए ।

प्रमाणपत्र के बिना पत्तन में प्रविष्ट होने या उसे छोड़ने पर रोक ।

352दट. (1) कोई भी जलयान, ऐसे किसी पत्तन या स्थान में, जिसको यह भाग लागू होता है, प्रवेश तब तक नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न या उसे छोड़ने का प्रयत्न तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास फलक पर धारा 352दञ के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र न हो ।

(2) भारत के बाहर किसी देश में के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस देश में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत को जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र या ऐसे किसी देश में के, जो बंकर अभिसमय का एक संविदाकारी पक्षकार है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पोत को, वह जहां कहीं भी रजिस्ट्रीकृत हो, जारी किया गया प्रमाणपत्र भारत में किसी पत्तन या स्थान पर उसी प्रकार स्वीकार किया जाएगा मानो कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया है ।

(3) कोई भी पत्तन अधिकारी ऐसे किसी जलयान के भीतर प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं देगा जब तक जलयान का मास्टर उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

अवलंबन का अधिकार ।

352दठ. इस भाग में अन्तर्विष्ट कोई बात जलयान के स्वामी के अवलंबन के ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो कि उसे अपने दायित्व के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है ।

न्यायालय के विनिश्चय की मान्यता और उसका प्रवर्तन ।

352दड. (1) धारा 352दच की उपधारा (2) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय उस देश में जहां कि वाद हेतुक उद्भूत हुआ है, निम्नलिखित दशाओं के सिवाय मान्य होगा, जहां कि--

(क) निर्णय कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो ; या

(ख) स्वामी या वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति को, जो उन कार्यवाहियों में एक पक्षकार है, अपना पक्ष प्रस्तुत करने की युक्तियुक्त सूचना और उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्य कोई निर्णय प्रभावित प्रत्येक देश में, जैसे ही उस देश में अपेक्षित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दिया जाता है, प्रवर्तनीय होगा:

परन्तु ऐसी प्रक्रिया मामले के गुणवगुण पर उसे पुनः खोला जाना अनुज्ञात नहीं करेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

352दढ. (1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें निम्नलिखित सभी या किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकेगा,

अर्थात्:--

(क) धारा 352दच की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ख) धारा 352दझ की उपधारा (1) के अधीन अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां ;

(ग) प्रमाणपत्र का प्ररूप, उसमें अन्तर्विष्ट की जा सकने वाली विशिष्टियां और वे शर्तें जिनके अधीन वह धारा 352दञ की उपधारा (1) के अधीन जारी किया जा सकेगा ;

(घ) धारा 352दञ की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए फीस ;

(ङ) धारा 352दञ की उपधारा (4) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और फीस ।'।

धारा 390 के स्थान पर नई धारा 390, धारा 390क, धारा 390ख, धारा 390ग, धारा 390घ, धारा 390ङ, धारा 390च, धारा 390छ, धारा 390ज और धारा 390झ का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 390 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

इस भाग का ध्वंसावशेषों को लागू होना ।

'390. यह भाग भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, जिसके अन्तर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर या उससे संलग्न किसी ऐसे समुद्री क्षेत्र भी हैं, जिन पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अधीन अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो, अवस्थित ध्वंसावशेषों को लागू होगा : 1976 का 80

परन्तु यह भाग निम्नलिखित को लागू नहीं होगा—

(क) समय-समय पर यथासंशोधित, तेल प्रदूषण दुर्घटनाओं के मामलों में खुले समुद्र पर मध्यक्षेप से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के अधीन किए गए उपाय ;

(ख) वाणिज्येतर सेवा के लिए सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा परिचालित कोई युद्धपोत या अन्य पोत ।

परिभाषाएं ।

390क. इस भाग के, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "प्राधिकारी" से महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रभावित देश" से वह देश अभिप्रेत है जिसके अभिसमय क्षेत्र में ध्वंसावशेष अवस्थित है ;

(ग) "तट" से संकरी खाड़ी और ज्वारीय नदियों के तट अभिप्रेत हैं ;

(घ) "अभिसमय" से समय-समय पर यथा संशोधित ध्वंसावशेष हटाए जाने पर नैरोबी अभिसमय, 2007 अभिप्रेत है ;

(ङ) "अभिसमय क्षेत्र" से किसी राज्य पक्षकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार स्थापित अनन्य आर्थिक क्षेत्र या यदि किसी राज्य पक्षकार द्वारा ऐसा क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है तो उस राज्य द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अवधारित उस राज्य के राज्यक्षेत्रीय सागर से परे और उससे जुड़ा तथा उस आधाररेखा से, जिससे उसके राज्यक्षेत्रीय सागर की चौड़ाई मापी जाती है, दो सौ समुद्री मील से अनधिक की सीमा तक का क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "परिसंकट" से ऐसी कोई दशा या आशंका अभिप्रेत है—

(i) जिससे नौपरिवहन के लिए खतरा या अड़चन पैदा होती है ; या

(ii) जिसके परिणामस्वरूप युक्तियुक्त रूप से भारत के या किसी अन्य देश के सामुद्रिक पर्यावरण के भारी अपहानिकर परिणाम सामने आने, उसके तटीय रेखा या संबंधित हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है ;

(छ) "सामुद्रिक दुर्घटना" से पोतों की कोई टक्कर, नौपरिवहन का उत्कूलन या अन्य घटना अथवा पोत के फलक पर या उसके बाहर अन्य घटना अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी पोत या उसके स्थोरा को तात्विक नुकसान होता है या तात्विक नुकसान होने की आसन्न आशंका उद्भूत होती है ;

(ज) "पोत के परिचालक" से पोत का स्वामी या ऐसा कोई अन्य संगठन या व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत प्रबंधक या अनावृत्त नौका चार्टरर भी है, अभिप्रेत है जिसने पोत के परिचालन का उत्तरदायित्व पोत के स्वामी से लिया है और जिसने ऐसा उत्तरदायित्व लेने पर, समय-समय पर यथा संशोधित अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध संहिता के अधीन स्थापित सभी कर्तव्यों को करने और उत्तरदायित्वों को निभाने का करार किया है ;

(झ) "ध्वंसावशेष का प्रापक" से धारा 391 के अधीन उस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से पोत के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण न होने की दशा में सामुद्रिक दुर्घटना के समय पोत का स्वामित्व रखने वाला या वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं :

परन्तु ऐसे किसी पोत की दशा में, जिसका स्वामी कोई राज्य है और उसका परिचालन उस कंपनी द्वारा किया गया है जो उस राज्य में पोत के परिचालक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से ऐसी कंपनी

अभिप्रेत होगी ;

(ट) "संबंधित हित" से किसी ध्वंसावशेष से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित या आशंकित भारत के हितों की दशा में, निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(i) सामुद्रिक तटीय, पत्तन और सागर संगमीय क्रियाकलाप, जिनके अन्तर्गत मत्स्य क्रियाकलाप भी हैं, जो संबंधित व्यक्तियों की जीविका के अनिवार्य साधन के रूप में हैं ;

(ii) संबंधित क्षेत्रों के पर्यटन आकर्षण और अन्य आर्थिक हित ;

(iii) तटीय जनसंख्या का स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्र की भलाई जिसके अन्तर्गत समुद्री जीवन स्रोत और वन्य जीवन का संरक्षण भी है ;

(iv) अपतटीय और जल के नीचे की अवसंरचना ;

(ठ) "हटाए जाने" से किसी ध्वंसावशेष से पैदा हुए परिसंकट के निवारण, शमन या विलोपन का कोई रूप अभिप्रेत है और "हटाना", "हटाया गया" और "हटाया जाना" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ड) "पोत" से किसी भी प्रकार का कोई भी समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाइड्रोफोइल नौकाएं, एयरकुशन यान, निमज्जक, तरुण-यान या तरुण प्लेटफार्म भी हैं, सिवाय उस दशा के जब ऐसे प्लेटफार्म समुद्रतल खनिज संपदा की खोज, विदोहन या उत्पादन में लगे अवस्थान पर हों, ;

(ढ) "पोत की रजिस्ट्री का राज्य" से किसी रजिस्ट्रीकृत पोत की दशा में, पोत के रजिस्ट्रीकरण का राज्य, और अरजिस्ट्रीकृत पोत की दशा में, वह राज्य, जिसका ध्वज वह पोत लगाने का हकदार है, अभिप्रेत है ;

(ण) "ध्वंसावशेष" में, किसी सामुद्रिक दुर्घटना के संबंध में, निम्नलिखित आते हैं,--

(i) निमग्न या उत्कूलित पोत ; या

(ii) किसी निमग्न या उत्कूलित पोत का कोई भाग, जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई वस्तु या माल या स्थोरा भी है जो ऐसे किसी पोत के फलक पर है या रहा है ; या

(iii) ऐसी कोई वस्तु या माल या स्थोरा, जो किसी पोत से समुद्र में खो गया है या जो समुद्र में उत्कूलित, निमग्न हो गया है या बह गया है ; या

(iv) ऐसा कोई पोत जो संकट में है या जो लगभग डूबने या उत्कूलित होने वाला है या जिसके युक्तियुक्त रूप से डूबने या उत्कूलित होने की संभावना है, जहां कि पोत को या खतरे में की किसी संपत्ति को सहायता पहुंचाने के पहले से कोई प्रभावपूर्ण उपाय नहीं किए जा रहे हैं ;

या

(v) ऐसा परित्यक्त जलयान जिसके वापस मिलने की आशा या वापस लेने का आशय नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, इस आशय के किसी प्रश्न का विनिश्चय कि क्या पोत या खतरे में की किसी संपत्ति को सहायता पहुंचाने के लिए अंगीकृत उपाय प्रभावपूर्ण रूप से किए जा रहे हैं अथवा नहीं, महानिदेशक द्वारा किया जाएगा ।

ध्वंसावशेषों की रिपोर्ट देने का कर्तव्य ।

390ख. (1) जब कोई भारतीय पोत किसी सामुद्रिक दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसको यह भाग लागू होता है, कोई ध्वंस हो जाता है तो पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट ध्वंसावशेष के प्रापक को और महानिदेशक के कार्यालय को अविलंब देगा ।

(2) जब कोई भारतीय पोत किसी सामुद्रिक दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी देश के अभिसमय क्षेत्र में कोई ध्वंस हो जाता है तो उस पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट प्रभावित देश को ऐसी रीति से, जैसी उस देश द्वारा अपेक्षित है, अविलंब देगा और उस घटना की रिपोर्ट महानिदेशक को भी देगा ।

(3) जब भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत किसी सामुद्रिक दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में, जिसको यह भाग लागू होता है, ध्वंस हो जाता है तो पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट ध्वंसावशेष के प्रापक को और महानिदेशक के कार्यालय को अविलंब देगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में पोत के स्वामी या परिचालक का नाम और उसके कारबार के मुख्य स्थान का और ऐसी सभी सुसंगत सूचना का वर्णन होगा जो ध्वंसावशेष के प्रापक या महानिदेशक के लिए इस बात का अवधारण करने के लिए आवश्यक हो कि ध्वंसावशेष से धारा 390ग के उपबंधों के अनुसार कोई परिसंकट पैदा हुआ या नहीं और उसमें निम्नलिखित सूचना भी होगी, अर्थात् :--

(क) ध्वंसावशेष का सुनिश्चित अवस्थान ;

(ख) ध्वंसावशेष की किस्म, आकार और संरचना;

(ग) ध्वंसावशेष को हुए नुकसान की प्रकृति और उसकी दशा ;

(घ) स्थोरा की, विशिष्टतया किसी परिसंकटमय और अपायकर पदार्थों की प्रकृति और परिमाण ; या

(ङ) फलक पर तेल, जिसके अन्तर्गत बंकर तेल और स्नेहन तेल भी हैं, की मात्रा और किस्म ।

(5) महानिदेशक ध्वंसावशेष के प्रापक या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को ध्वंसावशेष के ब्यौरों की एक रिपोर्ट देने का, यदि वह आवश्यक समझे, निदेश दे सकेगा ।

परिसंकट का अवधारण ।

390ग. इस बात का अवधारण करने के लिए कि किसी ध्वंसावशेष से परिसंकट पैदा हुआ है अथवा नहीं, निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) ध्वंसावशेष की किस्म, आकार और संरचना ;

(ख) उस क्षेत्र में जल की गहराई ;

(ग) उस क्षेत्र में ज्वारीय खंड और बहाव ;

(घ) संरक्षित क्षेत्रों से, जिनके अन्तर्गत प्रवाल-शैलमाला और सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य क्षेत्र भी है, सामीप्यता ;

(ङ) अन्तरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पहचान किए गए और यथा उपयुक्त अभिहित संवेदनशील समुद्री क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के स्पष्ट रूप से ऐसे परिभाषित क्षेत्र जहां कि सामुद्रिक विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 की अपेक्षाओं के अनुसार विशेष आज्ञापक उपाय अंगीकृत किए गए हैं ;

(च) पोत परिवहन मार्गों या स्थापित यातायात लेनों की सामीप्यता ;

(छ) यातायात सघनता और आवृत्ति ;

(ज) यातायात की किस्म ;

(झ) ध्वंसावशेष के स्थोरा की प्रकृति और परिमाण, फलक पर तेल (जैसे कि बंकर तेल और स्नेहन तेल) की मात्रा और किस्म और विशिष्टतया वह नुकसान जो कि स्थोरा या तेल के समुद्री पर्यावरण में छोड़े जाने के परिणामस्वरूप होने की संभावना है ;

(ञ) पत्तन सुविधाओं की भेधता ;

(ट) भार मानिकीय और जल सर्वेक्षणीय दशाओं की विद्यमानता ;

(ठ) क्षेत्र की अधोसमुद्रीय भौगोलिक वर्णन ;

(ड) निम्नतम खगोलीय ज्वार पर जल की सतह के ऊपर या नीचे ध्वंसावशेष की ऊंचाई ;

(ढ) ध्वंसावशेष की ध्वानिक और चुंबकीय रूपरेखा ;

(ण) अपतट संस्थापनों, पाइपलाइनों, दूरसंचार केबलों और वैसी ही संरचनाओं की सामीप्यता ;

(त) पर्यटन स्थलों और पारंपरिक अवस्थानों की सामीप्यता ; और

(थ) कोई अन्य परिस्थितियां, जो ध्वंसावशेष को हटाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं ।

ध्वंसावशेष का पता लगाना और चिह्नांकन ।

390घ. (1) महानिदेशक, यदि वह आवश्यक समझे, ध्वंसावशेष के प्रापक या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके अन्तर्गत दीपस्तंभ का महानिदेशक या पत्तन प्राधिकरण या कोई सामुद्रिक बोर्ड या भारतीय तटरक्षक भी है, ध्वंसावशेष का पता लगाने और चिह्नांकन करने के निदेश दे सकेगा ।

(2) जब किसी ध्वंसावशेष का अवधारण धारा 390ग के अधीन परिसंकटमय के रूप में किया गया है, तब पोत के स्वामी या प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि वह ध्वंसावशेष को अपने खर्च पर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, तुरन्त चिह्नांकित करेगा और तब तक ऐसे चिह्नांकन को बनाए रखेगा जब तक कि ध्वंसावशेष को हटा नहीं दिया जाता है ।

(3) पोत का पता लगाने और चिह्नांकन करने का खर्च रजिस्ट्रीकृत स्वामी वहन करेगा या उससे वसूल किया जाएगा ।

ध्वंसावशेषों के हटाए जाने को सुकर बनाने के उपाय ।

390ङ. (1) जब यह अवधारित किया जाता है कि ध्वंसावशेष परिसंकटमय है, तब ध्वंसावशेष का प्रापक इस तथ्य की सूचना महानिदेशक को देगा, जो--

(क) पोत के रजिस्टरी के राज्य की सरकार को और पोत के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को तुरन्त सूचित करेगा ; और

(ख) पोत की रजिस्टरी के राज्य की सरकार से तथा ध्वंसावशेष से प्रभावित अन्य देशों से उस ध्वंसावशेष के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श करने के लिए अग्रसर होगा ।

(2) यथास्थिति, पोत का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या पोत का प्रचालक उस ध्वंसावशेष को हटाएगा जिसे परिसंकटमय घोषित किया गया है :

परन्तु जहां इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि ध्वंसावशेष परिसंकटमय है या नहीं, वहां उस महानिदेशक का, जिसे ऐसा विवाद निर्दिष्ट किया जाए, विनिश्चय अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

(3) जब ध्वंसावशेष का अवधारण किसी परिसंकट को गठित करने के रूप में किया गया है, तब पोत का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या कोई हितबद्ध व्यक्ति महानिदेशक या ध्वंसावशेष के प्रापक को या इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को धारा 390छ के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा बनाए रखे गए बीमे या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का साक्ष्य उपलब्ध कराएगा ।

(4) ध्वंसावशेष का प्रापक, परिसंकट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पोत के स्वामी या उसके प्रचालक के लिए ध्वंसावशेष को हटाने के लिए ऐसी समय-सीमा नियत करेगा जो विहित की जाए ।

(5) यदि पोत का स्वामी या उसका प्रचालक या अभिकर्ता उपधारा (4) के अधीन नियत समय के भीतर ध्वंसावशेष को नहीं हटाता है, तो ध्वंसावशेष का प्रापक उस स्वामी या प्रचालक के खर्चे पर उस ध्वंसावशेष को ऐसे उपलब्ध अत्यंत व्यवहार्य और त्वरित साधनों द्वारा हटवाएगा जो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा की विचारणाओं से संगत हों और ध्वंसावशेष या ऐसे ध्वंसावशेष से प्रोद्भूत कोई विक्रय आगम केन्द्रीय सरकार की संपत्ति बन जाएंगे ।

(6) उन परिस्थितियों में, जहां कि तुरन्त कार्रवाई अपेक्षित है और ध्वंसावशेष के प्रापक ने पोत के स्वामी या उसके प्रचालक को इसकी तदनुसार सूचना दे दी है, वहां ऐसी स्वामी या प्रचालक के खर्च पर उस ध्वंसावशेष को ऐसे उपलब्ध अत्यंत

व्यवहार्य और त्वरित साधनों द्वारा हटवाएगा जो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा की विचारणाओं से संगत हों ।

स्वामी का दायित्व ।

390च. (1) इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी ध्वंसावशेष का पता लगाने, चिह्नांकन करने और उसे हटाने के लिए दायी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि सामुद्रिक दुर्घटना, जो इस ध्वंसावशेष का कारण बनी--

(क) किसी युद्ध-कार्य, संघर्ष, गृह युद्ध, विप्लव या किसी आपवादिक अनिवार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के कारण हुई है ;

(ख) पूर्णतः, किसी तृतीय पक्षकार द्वारा ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप के कारण हुई थी ; या

(ग) पूर्णतः, सरकार या अन्य प्राधिकारी के, जो प्रकाश और अन्य नौपरिवहन सुविधाएं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कृत्य के निर्वहन में किसी उपेक्षा या अन्य सदोष कार्य के कारण हुई है ।

(2) इस भाग में अन्तर्विष्ट कोई बात रजिस्ट्रीकृत स्वामी के धारा 352ख के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को परिशोधित करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) इस भाग में अन्तर्विष्ट कोई बात रजिस्ट्रीकृत स्वामी को तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध उपलब्ध अवलंब के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

बीमे और अन्य वित्तीय प्रतिभूति का बनाए रखा जाना ।

390छ. (1) किसी भारतीय पोत के, जो कि तीन सौ या उससे अधिक सकल टनभार का है, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी से, इस भाग के अधीन अपने दायित्व के रक्षण के प्रयोजन के लिए अनिवार्य बीमा रक्षण या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति, जो विहित की जाए, बनाए रखना अपेक्षित होगा ।

(2) किसी भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत का, जो कि तीन सौ या उससे अधिक सकल टनभार का है, प्रत्येक स्वामी या प्रचालक, जब वह उस क्षेत्र में हो जिसे यह भाग लागू होता है, अभिसमय के अधीन अपने दायित्व के रक्षण के लिए बीमा रक्षण या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखेगा और फलक पर इस बात को अनुप्रमाणित करने संबंधी प्रमाणपत्र रखेगा कि ऐसा बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रवृत्त है ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, यदि वह पोत--

(क) भारतीय पोत है तो प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ;

(ख) अभिसमय के, भारत से भिन्न, किसी देश में रजिस्ट्रीकृत है तो उस देश की सरकार के प्राधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किया जाएगा ; और

(ग) ऐसे किसी देश में रजिस्ट्रीकृत है जो अभिसमय में का देश नहीं है तो किसी अभिसमय के देश द्वारा प्राधिकृत समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया या प्रमाणित किया गया प्रमाणपत्र होगा ।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों का अतिलंघन करता पाया गया कोई पोत, प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध किए जाने के लिए दायी होगा ।

(5) इस भाग के अधीन उद्भूत खर्चों का कोई दावा सीधे रजिस्ट्रीकृत स्वामी के दायित्व के लिए वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लाया जा सकेगा और ऐसे किसी मामले में, बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति उन प्रतिवादों का (जो रजिस्ट्रीकृत स्वामी की शोधन अक्षमता या परिसमापन से भिन्न हों) अवलंब ले सकेगा, जिनका रजिस्ट्रीकृत स्वामी अवलंब लेने का, जिसके अन्तर्गत धारा 352ख के अधीन यथा उपबंधित दायित्व की परिसीमा भी है, हकदार होता :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत स्वामी धारा 352ख के अधीन दायित्व की परिसीमा का हकदार नहीं है, वहां बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की उस रकम के, जो उपधारा (1) के अधीन बनाए रखी जानी अपेक्षित है, बराबर रकम तक दायित्व को परिसीमित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति इस बात के परिवाद का अवलंब ले सकेगा कि सामुद्रिक दुर्घटना रजिस्ट्रीकृत स्वामी के जानबूझकर किए गए अवचार के परिणामस्वरूप हुई है किन्तु ऐसे किसी अन्य प्रतिवाद का अवलंब नहीं ले सकता जिसका कि ऐसा बीमाकर्ता या व्यक्ति ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा लाई गई कार्यवाहियों में संभवतः अवलंब लेने का हकदार होता :

परन्तु यह भी कि बीमाकर्ता या ऐसे व्यक्ति को ऐसी कार्यवाहियों में रजिस्ट्रीकृत स्वामी को भी सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा ।

दायित्व का अपवाद ।

390ज. (1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी धारा 390च में निर्दिष्ट खर्चों की पूर्ति के लिए इस भाग के अधीन और उस सीमा तक दायी नहीं होगा यदि ऐसे खर्चों के लिए दायित्व--

(क) इस अधिनियम के किसी अन्य भाग या उपबंधों के ;

2010 का 38

(ख) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के उपबंधों के ; या

(ग) ऐसी किसी अन्य लागू या आबद्धकर अंतरराष्ट्रीय विधिक लिखत के, जिसको भारत ने अंगीकार किया है,

उल्लंघन में है ।

(2) जहां इस भाग के अधीन उपाय, उस सीमा तक, जहां तक कि उन उपायों का अर्थान्वयन धारा 402 के उपबंधों के अधीन उद्धारण के रूप में किया जाता है, किए जाते हैं, वहां उक्त धारा 402 के उपबंध उद्धारकर्ता को संदेय पारिश्रमिक या प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है

1908 का 15

कि इस धारा के उपबंधों का अर्थान्वयन भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से किया जाएगा और उसके बारे में किसी

संदिग्धता या किसी विरोध की दशा में उक्त भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंध अभिभावी होंगे । 1908 का 15

खर्चों की वसूली का दावा करने के अधिकार का निर्वापन।

390झ. धारा 390घ की उपधारा (2) के अधीन पोत का पता लगाने और चिह्नांकन करने संबंधी खर्चों की वसूली का कोई दावा परिसंकट के अवधारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परन्तु ऐसा दावा किसी भी दशा में उस सामुद्रिक घटना की, जिसके परिणामस्वरूप ध्वंसावशेष हुआ, तारीख से छह वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां सामुद्रिक दुर्घटना में घटनाओं की आवलि है, वहां छह वर्ष की अवधि प्रथम घटना की तारीख से आरंभ होगी ।'।

धारा 391 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 391 की उपधारा (1) में, "ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी सीमाओं के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 395 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 395 में, "ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी सीमाओं के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 396 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 396 में, "जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "जिसकी सीमाओं के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 398 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 398 के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) इससे धारा 390क के खंड (च) के अर्थान्तर्गत परिसंकट पैदा होता है ; या";

धारा 399 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 399 की उपधारा (2) में, "भारत के तटों पर या उनके निकट पाई जाती है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे यह भाग लागू होता है, पाई जाती है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 400 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 400 के खंड (ख) और खंड (घ) में, "भारत के तटों पर या उनके निकट" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे यह भाग लागू होता है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 402 के स्थान पर नई धारा 402, धारा 402क, धारा 402ख, धारा 402ग, धारा 402घ, धारा 402ङ, धारा 402च, धारा 402छ, धारा 402ज, धारा 402झ और धारा 402ञ का प्रतिस्थापन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 402 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

'402. यह भाग ऐसे किसी जलयान या किसी अन्य संपत्ति के संबंध में, जिसे भारत में संस्थित किया जाता है, उद्धारण की संक्रियाओं से संबंधित न्यायिक या माध्यस्थम् की कार्यवाहियों को लागू होगा :

इस भाग का उद्धारण को लागू होना ।

परन्तु यह भाग स्थिर या प्लवमान् प्लेटफार्मों या चलत अपतट नोदन इकाइयों को तब लागू नहीं होगा जब ऐसे प्लेटफार्म और इकाइयां उस अवस्थान पर समुद्री तल खनिज संपदाओं की खोज, उनके विदोहन या उत्पादन में लगी हुई हैं :

परन्तु यह और कि यह भाग सरकार के स्वामित्वाधीन या प्रचालित युद्धपोतों या अन्य वाणिज्येत्तर जलयानों को लागू नहीं होगा जो उद्धारण की संक्रियाओं के साथ प्रभुत्वसंपन्न उन्मुक्ति के हकदार हैं ।

402क. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

परिभाषाएं ।

(क) "पर्यावरण को नुकसान" से प्रदूषण, संदूषण, अग्नि, विस्फोट या वैसी ही बड़ी घटनाओं द्वारा मानव स्वास्थ्य को या तटीय अथवा अन्तरदेशीय सागरखंड या उससे जुड़े क्षेत्रों में समुद्री जीवन या संपदाओं को सारभूत रूप से हुआ भौतिक नुकसान अभिप्रेत है ;

(ख) "संदाय" से इस अभिसमय के अधीन कोई इनाम, पारिश्रमिक या प्रतिकर अभिप्रेत है ;

(ग) "संपत्ति" से ऐसी कोई संपत्ति अभिप्रेत है जो तट रेखा से स्थायी रूप से और साशय जुड़ी हुई नहीं है और इसके अन्तर्गत जोखिमपूर्ण भाड़ा भी है ;

(घ) "उद्धारण अभिसमय" से समय-समय पर यथा संशोधित अन्तरराष्ट्रीय उद्धारण अभिसमय, 1989 अभिप्रेत है ;

(ङ) "उद्धारण संक्रिया" से ऐसा कोई कार्य या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो उस नाव्य सागरखंड या किसी अन्य सागरखंड में, जिसे यह भाग लागू होता है, खतरे में पड़े किसी जलयान या किसी अन्य संपत्ति को सहायता पहुंचाने के लिया किया जाता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :--

(i) ऐसे किसी जलयान को, जो डूब गया है, ध्वंस्त हो गया है, जो उत्कूलित हो गया है या परित्यक्त हो गया है, जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई चीज भी है जो उस जलयान के फलक पर है या रही है, ऊपर उठाना, हटाना, नष्ट करना या उसे अपहानिकर बनाना;

(ii) किसी जलयान के स्थोरा को हटाना, नष्ट करना या उसे अपहानिकर बनाना; और

(iii) किसी जलयान या उसके स्थोरा को या दोनों को हानि पहुंचने से बचाने या उसे कम करने के उपाय करना ;

(च) "उद्धारकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उद्धारण की संक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंधित सेवाएं प्रदान करता है ;

(छ) "जलयान" से कोई पोत या यान (क्राफ्ट) या कोई संरचना अभिप्रेत

है जो नौपरिवहन योग्य हो ।

जलयान, स्थोरा या ध्वंसावशेष को बचाने के लिए देय उद्धारण राशि ।

402ख. (1) जहां--

(क) भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर किसी जलयान से जीवन को बचाने के लिए पूर्णतः या भागतः या कहीं अन्यत्र भारत में रजिस्ट्रीकृत जलयान से जीवन को बचाने के लिए ; अथवा

(ख) धारा 390 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे किसी स्थान पर, जिसे यह भाग लागू होता है ध्वस्त या उत्कूलित या संकट में पड़े हुए जलयान को सहायता देने के लिए या जलयान के स्थोरा या उपस्कर को बचाने के लिए ; अथवा

(ग) किसी ध्वंसावशेष को बचाने के लिए ध्वंसावशेष के प्रापक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा,

सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वहां जलयान, स्थोरा, उपस्कर या ध्वंसावशेष के स्वामी द्वारा उद्धारकर्ता को, मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हूए, उद्धारण के लिए एक उचित राशि देय होगी ।

(2) जब जलयान के स्वामी द्वारा जीवन के परिरक्षण के संबंध में, कोई उद्धारण राशि देय है तो उसे उद्धारण के अन्य सब दावों की अपेक्षा पूर्विकता दी जाएगी ।

सरकार या पत्तन और लोक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित उद्धारण संक्रियाएं ।

402ग. जहां उद्धारण सेवाएं, यथास्थिति, सरकार द्वारा या उसकी ओर से या भारतीय नौ सेना या तटरक्षक के किसी जलयान द्वारा या किसी ऐसे जलयान के कमांडर या कर्मीदल या पत्तन प्राधिकारियों या लोक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त की जानी है वहां, वह उद्धारण राशि का हकदार होगा और उन सेवाओं के संबंध में उसे वही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे जो किसी अन्य उद्धारकर्ता को प्राप्त हैं ।

उद्धारण संविदाएं ।

402घ. (1) धारा 402ङ और धारा 402च के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह भाग ऐसी किन्हीं उद्धारण संक्रियाओं को, उस विस्तार के सिवाय, जहां कि किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित तौर पर अन्यथा उपबंधित है, लागू होगा ।

(2) मास्टर को जलयान के स्वामी की ओर से उद्धारण की संक्रियाओं के संबंध में संविदाएं पूरी करने का प्राधिकार होगा ।

(3) जलयान के मास्टर या स्वामी को जलयान के फलक पर की संपत्ति के स्वामी की ओर से ऐसी संविदाएं पूरी करने का प्राधिकार होगा ।

संविदाओं का बातिलीकरण और उपांतरण ।

402ङ. किसी संविदा या उसके किन्हीं निबंधनों को बातिल अथवा उपांतरित किया जा सकेगा, यदि--

(क) संविदा असम्यक् प्रभाव या खतरे के प्रभाव में की गई है और उसके निबंधन अनुचित हैं ; या

(ख) संविदा के अधीन संदाय वस्तुतः प्रदान की गई सेवाओं से अधिक है और उसके अननुपात में है ।

402च. (1) उद्धारक के जलयान के स्वामी अथवा खतरे में की संपत्ति के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-- उद्धारकर्ता और स्वामी तथा मास्टर के कर्तव्य ।

(क) सम्यक् देखभाल से उद्धारण की संक्रियाएं करना ;

(ख) उद्धारण की संक्रियाओं के दौरान पर्यावरण के नुकसान का निवारण करने या उसे कम करने के लिए सम्यक् देखभाल करना ;

(ग) अन्य उद्धारकर्ताओं से, जिनके अन्तर्गत पत्तन प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी भी हैं, जब परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित हो, सहायता मांगना ;

(घ) अन्य उद्धारकर्ताओं के, जब जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा या खतरे में की अन्य संपत्ति के स्वामी द्वारा ऐसा किए जाने का अनुरोध किया जाए, मध्यक्षेप को स्वीकार करना :

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि ऐसा कोई अनुरोध अयुक्तियुक्त है, तो इससे उस उद्धारकर्ता के इनाम की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) जलयान के स्वामी या खतरे में की अन्य संपत्ति के स्वामी के उद्धारकर्ता के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(क) उद्धारण की संक्रियाओं के दौरान उद्धारकर्ता से पूर्णतया सहयोग करना ;

(ख) उद्धारण की संक्रियाओं के दौरान पर्यावरण के नुकसान का निवारण करने या उसे कम करने के लिए सम्यक् देखभाल करना;

(ग) जब जलयान या अन्य संपत्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है, तब पुनः परिदान की, जब उद्धारकर्ता द्वारा ऐसा करने का युक्तियुक्त रूप से अनुरोध किया जाए, स्वीकार करना ;

(घ) उद्धारण की संक्रियाओं के लिए उद्धारकर्ता के दावे के लिए, जिसके अन्तर्गत ब्याज और खर्च भी हैं, पर्याप्त प्रतिभूति का, उद्धारकर्ता के अनुरोध पर, उपबंध करना ।

402छ. (1) केन्द्रीय सरकार, सामुद्रिक दुर्घटना या ऐसी दुर्घटना से संबंधित कृत्यों से जिनके परिणामस्वरूप भारी अपहानिकर परिणाम सामने आ सकते हैं, उद्भूत प्रदूषण या प्रदूषण की आशंका से तटीय रेखा और संबंधित हितों की संरक्षा के लिए ऐसे उपाय करेगा जो विहित किए जाएं । उद्धारकर्ताओं के अधिकार ।

(2) केन्द्रीय सरकार, संबंधित पोत के स्वामी या मास्टर या उद्धारकर्ता या किसी पत्तन प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को उद्धारण की संक्रियाओं के संबंध में ऐसे निदेश देगी, जो वह ठीक समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार, दक्ष और प्रभावी उद्धारण संक्रियाओं के, संकट में के प्राण और संपत्ति को बचाने और पर्यावरण के नुकसान के निवारण के प्रयोजनों के लिए संबंधित पोत के स्वामी या मास्टर या उद्धारकर्ता या किसी पत्तन प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से जरुरतमन्द जलयानों को सहायता प्रदान करने

के लिए संकटग्रस्त और सहायता के जरुरतमन्द जलयानों को पत्तनों में प्रवेश देने और उद्धारकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहयोग की ईप्सा करेगी ।

उद्धारण की संक्रियाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार और कर्तव्य ।

402ज. (1) उद्धारक को उद्धारण संक्रियाओं के संबंध में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए संदाय पाने का अधिकार होगा :

परन्तु ऐसा कोई संदाय नहीं किया जाएगा जहां संकट में पड़े जलयान के स्वामी या मास्टर अथवा किसी अन्य संपत्ति के स्वामी से अभिव्यक्त या युक्तियुक्त प्रतिषेध हो ।

(2) केन्द्रीय सरकार पुरस्कारों का दावा करने के लिए मापदंड, पुरस्कार नियत करने, विशेष प्रतिकर के संदाय, उद्धारकर्ताओं के बीच संदाय के प्रभाजन, व्यक्तियों के बचाव, संविदा के अधीन संदाय, संविदा के अधीन न आने वाली अतिरिक्त सेवाओं के लिए संदाय की रीति तथा पुरस्कार या संदाय के संबंध में उद्धारकर्ताओं के अवचार के प्रभाव को विहित कर सकेगी ।

(3) उद्धारकर्ता को संकट में पड़े जलयान के स्वामी या मास्टर अथवा किसी अन्य संपत्ति के स्वामी के विरुद्ध उसके समुद्री धारणाधिकार तब प्रवृत्त कराने का अधिकार होगा जब उसके दावे के लिए, जिसके अन्तर्गत ब्याज और खर्च भी हैं, पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

विवादों का न्यायनिर्णयन ।

402झ. (1) इस भाग के अधीन दावों से संबंधित किसी विवाद का अवधारण विवाद करने वाले किसी भी पक्षकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय को किए गए आवेदन पर किया जाएगा ।

(2) जहां यह विवाद उठता है कि इस धारा के अधीन उद्धारण की रकम का हकदार कौन है, वहां उच्च न्यायालय विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि ऐसी रकम के हकदार व्यक्ति एक से अधिक हैं तो उच्च न्यायालय रकम को ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रभाजित करेगा ।

(3) उच्च न्यायालय के समक्ष इस धारा के अधीन सब कार्यवाहियों के खर्चे और उनकी आनुंषिगक रकमें उच्च न्यायालय के विवेकानुसार होंगी और उच्च न्यायालय को यह अवधारित करने की पूर्ण शक्ति होगी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस संपत्ति में से और किस सीमा तक संदत्त किए जाने हैं और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे सब आवश्यक निदेश देने की शक्ति होगी ।

(4) उच्च न्यायालय, अंतरिम आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि उद्धारकर्ता को ऐसी रकम, जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो, ऐसे निबंधनों पर, संदत्त की जाएगी जिसमें ऐसी प्रतिभूति के बारे में निबंधन भी हैं, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार उसे आवश्यक, उचित और न्यायसंगत प्रतीत हों :

परन्तु जहां कोई अंतरिम संदाय किया जाता है वहां धारा 402ङ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन उपबंधित प्रतिभूति तदनुसार कम कर दी जाएगी ।

दावों का निर्वापन ।

402ञ. (1) यदि ऐसा दावा दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो इस भाग के अधीन संदाय से संबंधित कोई कार्रवाई उस दशा में निर्वापित हो

जाएगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, परिसीमा काल उद्धारण की संक्रिया के पूरा होने की तारीख से प्रारंभ होगा ।'।

धारा 404 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 404 के खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(ज) धारा 390घ की उपधारा (2) के अधीन ध्वंसावशेष चिह्नांकित करने की रीति ;

(झ) धारा 390ङ की उपधारा (4) के अधीन ध्वंसावशेष हटाने की समय-सीमा ;

(ञ) धारा 390छ की उपधारा (1) के अधीन अन्य वित्तीय प्रतिभूति ;

(ट) धारा 402छ की उपधारा (1) के अधीन तटरेखा संबंधी हितों की प्रदूषण से या प्रदूषण की आशंका से संरक्षा करने के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ठ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए ध्वंसावशेष हटाने पर नैरोबी अभिसमय, 2007 या उद्धारण अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए जाने अपेक्षित हों ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रीति में भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के विकास का संवर्धन करने और उसका दक्षतापूर्ण रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक बोर्ड, आई.एम.ओ., अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन की सुरक्षा, रक्षा और पर्यावरणीय कार्यपालन के लिए वैश्विक मानक नियतन प्राधिकरण के रूप में, सार्वत्रिक अंगीकरण और कार्यान्वयन संबंधी अभिसमयों के रूप में पोत परिवहन उद्योग के उचित और प्रभावी विनियामक ढांचे को सृजित करता है ।

2. बंकर तेल प्रदूषण नुकसानी के सिविल दायित्व संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2001 (बंकर अभिसमय) में यह सुनिश्चित है कि उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें तेल के, जब वह पोतों के बंकरों में ईंधन के रूप में ले जाया जा रहा हो, रिसावों के कारण नुकसान होता है, पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी प्रतिकर उपलब्ध है । अभिसमय राज्य पक्षकारों के राज्यक्षेत्र में, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर भी है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में लागू होती है । अभिसमय में केवल प्रदूषण नुकसानी को समाविष्ट करने वाली एक पृथक् लिखत का उपबंध है ।

3. ध्वंसावशेष को हटाए जाने संबंधी नैरोबी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2007 (नैरोबी अभिसमय) में उन पोत ध्वंसावशेषों को, जो सागर में जीवन, माल और संपत्ति और साथ ही सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों, हटाने के विधिक आधार का उपबंध है । अभिसमय में एकसमान अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रथम खंड का, जो राज्यक्षेत्रीय सागर के परे अवस्थित ध्वसांवशेषों को शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी रूप से हटाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यित हैं, उपबंध करके विद्यमान अंतरराष्ट्रीय विधिक ढांचे में के अंतर को पूरा करने के लिए है ।

4. उद्धारण संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (उद्धारण अभिसमय), 1989 में विद्यमान "उपाय नहीं तो संदाय नहीं" के सिद्धांत को, जहां उद्धारकर्ता को सेवाओं के लिए केवल उस दशा में पुरस्कृत किया जाता है जब प्रचालन सफल हो जाता है, प्रतिस्थापित किया गया है । पर्यावरणीय रूप से सूक्ष्मग्राही क्षेत्र से नुकसानग्रस्त टैंकर को अनुकर्षित करके उद्धारकर्ता प्रदूषण की बड़ी घटनाओं को रोकता है । किंतु "उपाय नहीं तो संदाय नहीं" का विद्यमान सिद्धांत उन प्रचालनों के लिए, जहां सफलता की गुंजाइश बहुत ही कम हो, हतोत्साहित किए जाने के रूप में कार्य करता है । 1989 के उद्धारण अभिसमय में पर्यावरण के नुकसान का निवारण करने या उसे बहुत ही कम करने के वर्धित उद्धारण पुरस्कार का उपबंध करके तथा उन उद्धारकर्ताओं को, जो सामान्य रूप में पुरस्कार अर्जित

करने में असफल रहते हैं, संदत्त किए जाने वाले "विशेष प्रतिकर" को आरंभ करके इस कमी को दूर किया गया है ।

5. भारत अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक अभिसमय का एक सदस्य है और जब भारत सरकार द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का सदस्य बनने का अनुमोदन स्वीकृति/अनुसमर्थन द्वारा किया जाता है तो उस अभिसमय को देश के विधान में उसके उपबंधों को समुचित रूप में समाविष्ट करके प्रभावी किया जाता है । बंकर अभिसमय, 2001 की स्वीकृति का अनुमोदन कर दिया गया है और अभिसमय को कार्यान्वित करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं । इन संशोधनों द्वारा, अधिनियम में भाग 10खक, जिसका शीर्षक "बंकर तेल प्रदूषण नुकसान संबंधी सिविल दायित्व" है, अंत:स्थापित करके अभिसमय के उपबंधों को समाविष्ट किया गया है । भारत पहले से ही नैरोबी अभिसमय और उद्धारण अभिसमय का पक्षकार है । तथापि, उन अनुभवों, जिनका भाग 13, जिसका शीर्षक ध्वंसावशेष और उद्धारण है, को क्रियान्वित करने में फायदा मिला है, के प्रकाश में भाग 13 का, उसे विकासोन्मुख और नैरोबी अभिसमय तथा उद्धारण अभिसमय के अनुरूप बनाने के लिए, संशोधन करना आवश्यक समझा गया था ।

6. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 के उपबंधों के अधीन, जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को अनिवार्य बीमा पालिसी बनाए रखनी होती है जो बंकर प्रदूषण नुकसानी के लिए प्रतिकर का दावा, जो सीधे बीमाकर्ता के विरुद्ध लाया जाना होता है, करने को अनुज्ञात किया गया है । एक हजार सकल टनभार या उससे अधिक सकल टनभार वाले पोतों को इस आशय का एक फलक प्रमाणपत्र साथ रखना होता है कि इसके लिए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा ली गई है, इसके बिना पोत को भारत में प्रवेश करने या भारत छोड़ने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । बंकर प्रदूषण नुकसान के लिए दायित्व जोखिम की राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय परिसीमा क्षेत्र के अधीन लागू दायित्व सीमाओं के बराबर होगा, किंतु सभी मामलों में यह सामुद्रिक दावों के दायित्व की परिसीमा संबंधी अभिसमय, 1976 के अनुसार परिकलित रकम से अधिक नहीं होगी ।

7. इन संशोधनों से ध्वंसावशेषों और उद्धारण को हटाए जाने के प्रति और अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिलेगी, भारतीय सागरखंड की ध्वंसावशेष परिसंकटों से संरक्षा होगी और ध्वंसावशेषों को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त और अनुमोदित नियमों का सूत्रपात होगा । प्राइवेट और लोक इकाइयां प्रदान की गई सेवाओं के लिए विशेषकर पर्यावरण की संरक्षा करके और उसके नुकसान को बहुत ही कम करने संबंधी पर्याप्त पारिश्रमिक होने के कारण उद्धारण की संक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगी । जीवन, स्थोरा या ध्वंसावशेष के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए, उद्धारण संबंधी अन्य दावों पर पूर्विकता देकर, भुगतान किया जाएगा । सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी अधिकारों और उपचारों के लिए उसी रूप में

हकदार होंगी जैसे कोई अन्य उद्धारकर्ता हकदार होता है । विधेयक में पोत के उद्धारकर्ता, स्वामी और मास्टर के कर्तव्यों का उपबंध है । इसमें सामुद्रिक आकस्मिकता के मामलों में, केंद्रीय सरकार के अपने पर्यावरण और तटीयरेखा की संरक्षा करने में अधिकारों और दायित्वों का तथा उद्धारण संक्रियाओं के बारे में निदेश देने का भी उपबंध है ।

8. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **नितिन गडकरी**
24 जुलाई, 2015

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में, बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व से संबंधित एक नया भाग 10खक अंत:स्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा 352दढ़ में विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की गई है । वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, इस प्रकार हैं : (क) धारा 352दच की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ; (ख) धारा 352दझ की उपधारा (1) के अधीन अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां ; (ग) प्रमाणपत्र का प्ररूप, उसमें अंतर्विष्ट की जा सकने वाली विशिष्टियां और वे शर्तें, जिनके अधीन वह धारा 352दत्र की उपधारा (1) के अधीन जारी किया जा सकेगा ; (घ) धारा 352दत्र की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए फीस ; (ङ) धारा 352दत्र की उपधारा (4) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और फीस ।

विधेयक का खंड 12, ध्वंसावशेष और उद्धारण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 404 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे -- (क) धारा 390घ की उपधारा (2) के अधीन ध्वंसावशेष चिह्नांकित करने की रीति ; (ख) धारा 390ङ की उपधारा (4) के अधीन ध्वंसावशेष हटाने की समय-सीमा ; (ग) धारा 390छ की उपधारा (1) के अधीन अन्य वित्तीय प्रतिभूति ; (घ) धारा 402छ की उपधारा (1) के अधीन तटरेखा संबंधी हितों की प्रदूषण से या प्रदूषण की आशंका से संरक्षा करने के लिए किए जाने वाले उपाय ; और (ङ) किसी अन्य विषय, जिसके लिए ध्वंसावशेष हटाने संबंधी नैरोबी अभिसमय, 2007 या उद्धारण अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए जाने अपेक्षित हों, से संबंधित नियम बनाने की शक्तियों का उपबंध करने के लिए उसमें खंड (ज) से खंड (ठ) अंत:स्थापित किए जा सकें ।

केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्यांक 44) से उद्धरण

* * * * * * *

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

* * * * * * *

(58) "ध्वंसावशेष" के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं यदि वे समुद्र में या ज्वारीय जल में या उनके तटों पर पाए जाते हैं, अर्थात् :-

(क) ऐसे माल जो समुद्र में गिरा दिए गए हों और डूब गए हों तथा जल के नीचे रह गए हों;

(ख) ऐसे माल जो समुद्र में गिरा दिए गए हों या गिर जाएं और सतह पर तैरते रहें ;

(ग) ऐसे माल जो समुद्र में डुबा दिए गए हों किन्तु जो किसी तैरती हुई वस्तु के साथ जोड़ दिए गए हों जिससे कि उन्हें पुनः खोजा जा सके ;

(घ) ऐसे माल जो फैंक दिए गए हों या परित्यक्त कर दिए गए हों ; और

(ङ) ऐसा जलयान जिसका परित्याग उसके पुनः मिलने की आशा से या ऐसे आशय के बिना कर दिया गया हो ;

* * * * * * *

भाग 13

ध्वंसावशेष और उद्धारण

ध्वंसावशेष

तटों की परिभाषा ।

390. इस भाग में "तटों" शब्द के अन्तर्गत संकरी खाड़ियों और ज्वारीय नदियां भी है ।

ध्वंसावशेष का प्रापक ।

391. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति की ध्वंसावशेष को प्राप्त करने और कब्जे में लेने के लिए तथा उनसे संबधित ऐसे कर्तव्य करने के लिए, जैसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित हैं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ध्वंसावशेष का प्रापक (जिसे इस भाग में ध्वंसावशेष का प्रापक कहा गया है) नियुक्त कर सकती है ।

* * * * * * *

395. किन्ही ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिनके लिए कोई ध्वंसावशेष का प्रापक है, किसी ध्वंसावशेष को पाने वाला और कब्जे में लेने वाला या ऐसी सीमाओं के भीतर कोई ध्वंसावशेष लाने वाला व्यक्ति, जिसने ध्वसावशेष को अन्यत्र पाया है और अपने कब्जे में लिया है, यथासाध्य शीघ्रता से– ध्वंसावशेष को पाने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया ।

(क) यदि वह उसका स्वामी है तो, ध्वंसावशेष पाने की और उन चिह्नों की, जिनके द्वारा ऐसे ध्वंसावशेष को पहचाना जा सकता है, सूचना लिखित रूप में ध्वंसावशेष के प्रापक को देगा ;

(ख) यदि वह ऐसे ध्वंसावशेष का स्वामी नहीं है तो ध्वंसावशेष को ध्वंसावशेष के प्रापक को परिदत्त करेगा ।

396. जब भी कोई जलयान उपर्युक्त रूप में ध्वस्त या उत्कूलित हो जाता है या संकट में हो जाता है तब वह ध्वंसावशेष का प्रापक, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर पोत ध्वस्त या उत्कूलित हुआ या संकट में है, निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में अन्वेषण कर सकता है, अर्थात् :-- ध्वस्त आदि जलयानों से संबंधित कतिपय विषयों का अन्वेषण ।

(क) जलयान का नाम और विवरण;

(ख) मास्टर या स्वामियों के नाम;

(ग) स्थोरा के स्वामियों के नाम;

(घ) वे पत्तन जहां से जलयान आ रहा या जहां के लिए जलयान जा रहा था;

(ङ) जलयान के ध्वस्त या उत्कूलित या संकटग्रस्त होने का समय ;

(च) प्रदान की गई सेवाएं ; और

(छ) जलयान, स्थोरा या उपस्कर से संबंधित ऐसे अन्य विषय या परिस्थितियां जिन्हें प्रापक आवश्यक समझता है ।

* * * * * * *

398. ध्वंसावशेष प्रापक अपनी अभिरक्षा में के किसी भी समय विक्रय कर सकता है यदि उसकी राय में-- कतिपय दशाओं में प्रापक द्वारा ध्वंसावशेष का तुरन्त विक्रय ।

(क) उसका मूल्य पांच सौ रुपए से कम है ; अथवा

(ख) वह उतना क्षतिग्रस्त है या ऐसी विनश्वर प्रकृति का है कि उसे रखना लाभप्रद नहीं होगा ; अथवा

(ग) वह ऐसे पर्याप्त मूल्य का नहीं है कि उसका भाण्डागारण किया जाए,

और विक्रय के आगम, उसके व्यय को पूरा करने के पश्चात् उन्हीं प्रयोजनों के लिए और वैसे ही दावों, अधिकारों और दायित्वों के अधीन रहते हुए मानो ध्वंसावशेष का विक्रय नहीं हुआ था, प्रापक के पास रहेंगे ।

399. (1) * * * * * * ध्वंसावशेष के स्वामियों के दावे ।

(2) जहां किसी भारतीय जलयान से भिन्न किसी ध्वस्त जलयान को या उसकी

भागरूप कोई वस्तुएं या स्थोरा भारत के तटों पर या उनके निकट पाई जाती हैं या भारत में किसी पत्तन में लाई जाती हैं तो उस देश का कौंसलीय आफिसर, जिसमें जलयान रजिस्टीकृत है या स्थोरा की दशा में, उस देश का कौंसलीय आफिसर, स्थोरा के स्वामी जिस देश के हैं, स्वामी और मास्टर अथवा स्वामी के अन्य अभिकर्ता की अनुपस्थिति में, वस्तुओं की अभिरक्षा और व्ययन के सम्बन्ध में, स्वामी का अभिकर्ता समझे जाएंगे।

* * * * * * *

ध्वंसावशेष के संबंध में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध ।

400. कोई व्यक्ति--

* * * * * *

(ख) भारत के तटों पर या उनके निकट उत्कूलित या उत्कूलित होने के खतरे में पड़े हुए या अन्यथा संकट में पड़े हुए किसी जलयान या जलयान के स्थोरा या उपस्कर या किसी ध्वंसावशेष के बचाव में अड़चन नहीं डालेगा या उसके बचाव को प्रतिबाधित नहीं करेगा या उसके बचाव में अड़चन या बाधा डालने का प्रयास नहीं करेगा ; अथवा

* * * * * * *

(घ) भारत के तटों पर या उनके निकट उत्कूलित या उत्कूलित होने के खतरे में पड़े हुए या अन्यथा संकट में पड़े हुए जलयान के किसी भाग का या उसके स्थोरा या उपस्कर के किसी भाग को या किसी ध्वंसावशेष को सदोष नहीं ले जाएगा या नहीं हटाएगा ।

* * * * * * *

ध्वंसावशेष

जलयान, स्थोरा या ध्वंसावशेष को बचाने के लिए देय उद्धारण राशि ।

402. (1) जहां--

(क) भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर किसी जलयान से जीवन को बचाने के लिए पूर्णतः या भागतः या कहीं अन्यत्रः भारत में रजिस्ट्रीकृत जलयान से जीवन को बचाने के लिए ; अथवा

(ख) भारत के तटों पर या उनके निकट किसी स्थान पर ध्वस्त या उत्कूलित या संकट में पड़े हुए जलयान को सहायता देने के लिए या जलयान के स्थोरा या उपस्कर को बचाने के लिए ; अथवा

(ग) किसी ध्वंसावशेष को बचाने के लिए ध्वंसावशेष के प्रापक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा,

सेवाएं प्रदान की जाती है, वहां जलयान, स्थोरा, उपस्कर या ध्वंसावशेष के स्वामी द्वारा उद्धारकर्ता को, मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए; उद्धारण के लिए एक उचित राशि देय होगी ।

(2) जब जलयान के स्वामी द्वारा जीवन के परिरक्षण के सम्बन्ध में, कोई उद्धारण राशि देय है तो उसे उद्धारण के अन्य सब दावों की अपेक्षा पूर्विकता दी जाएगी ।

(3) जहां उद्धारण सेवाएं सरकार द्वारा या उसकी ओर से या भारतीय नौ सेना (या

तटरक्षक) के किसी जलयान द्वारा या किसी ऐसे जलयान के कमांडर या कर्मीदल द्वारा प्रदत्त की जानी है वहां, यथास्थिति, सरकार, कमांडर या कर्मीदल, उद्वारण राशि का हकदार होगा और उन सेवाओं के संबंध में उसे वही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे जो किसी अन्य उद्धारकर्ता को प्राप्त हैं ।

1978 का 30 **स्पष्टीकरण**–"तटरक्षक" से तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 3 के अधीन गठित तटरक्षक अभिप्रेत है ।

(4) इस धारा के अधीन शोध्य रकम की बाबत उठने वाला कोई विवाद,--

(क) जहां दावा की गई रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, वहां यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को, अथवा

(ख) जहां दावा की गयी रकम दस हजार रुपए से अधिक है, वहां उच्च न्यायालय को,

विवाद से सम्बधिंत पक्षकारों में से किसी के द्वारा, आवेदन किए जाने पर अवधारित किया जाएगा।

(5) जहां यह विवाद उठता है कि इस धारा के अधीन उद्धारण की रकम का हकदार व्यक्ति कौन है वहां यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि ऐसी रकम के हकदार व्यक्ति एक से अधिक है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय रकम को ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रभाजित करेगा ।

(6) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के समक्ष इस धारा के अधीन सब कार्यवाहियों के खर्चे और उनकी आनुषंगिक रकमें, यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के विवेक के अनुसार होंगी और से, यथास्थिति, ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय को यह अवधारित करने की पूर्ण शक्ति होगी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में से और किस विस्तार तक संदत्त किए जाने हैं तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उसे सब आवश्यक निदेश देने की शक्ति भी होगी ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—1983LS(CRC)—03-08-2015..